जारी

13HAN VI

संख्या 639 / XXIII / 2016 / 04(02)2016

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग　　　　　　　　　　　　देहरादूनः　दिनांकः 05 दिसम्बर ~~नवम्बर,~~ 2016

विषयः　**स्वापक औषधी और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 14 के अधीन नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–1387 / छःप्रा0–159 / भांग की खेती नियमावली / 2016–17 दिनांक–29.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत औद्योगिक हैम्प की खेती के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. कलेक्टर द्वारा नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के लिए अनुज्ञापन निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि बिना अनुज्ञापन लिये औद्योगिक हैम्प की खेती नहीं कर सकेगा। औद्योगिक हैम्प के पौधे का प्रयोग केवल बीज एवं रेशा प्राप्त करने के लिये किया जायेगा। अनुज्ञापन व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या इकाई को जारी किया जायेगा एवं अहस्तान्तरणीय होगा।
2. औद्योगिक हैम्प के वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु ऐसे व्यक्ति, शोध संस्थान एवं वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी संस्थान, जिनके स्वयं के नाम पर जमीन हो या पट्टाधारक हो को औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती के लिये अनुमति दी जायेगी, इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जिसके नाम जमीन हो, किसी वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाई के साथ साझेदारी में औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती के लिये आवेदन कर सकेगा, अनुज्ञापी अनुज्ञप्त खेत के अलावा अन्य किसी खेत में औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती नहीं करेगा। आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को निर्धारित प्रारूप पर अपने खेत का विवरण / क्षेत्रफल सहित आवेदन करेगा, जिसमें उसका नाम / पता / अनुमन्य सामग्री भण्डारित करने के परिसर का विवरण / लाईसेंस फीस आदि का विवरण अंकित करेगा। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ऐसी जांच के उपरांत, जो वह उचित समझे आवेदनकर्ता को औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती हेतु ऐसा लाईसेंस देने या न देने का अधिकार रखेगा। लाईसेंस न देने की स्थिति में कलेक्टर समुचित कारण से आवेदक को अवगत करायेगा तथा आवेदक तीस दिन के अन्दर आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

3. हैम्प के वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी उद्देश्य हेतु खेती तथा वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन के लिये औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के भण्डारण हेतु किसी व्यक्ति, शोध संस्थान एवं वाणिज्यिक संस्थान को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन सम्बन्धित कलेक्टर के समक्ष करना होगा, जिसके साथ अनुज्ञापन शुल्क के रूप में रूपये 1000/–(एक हजार) प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिये जमा कराना होगा और उक्त आवेदन पर आवश्यक विचारोपरान्त सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा खेतीहर को औद्योगिक हैम्प की खेती एवं भण्डारण हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक प्रतिबन्धों के अधीन अनुज्ञापन जारी किया जायेगा। वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाईयां जिनके द्वारा औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती नहीं की जा रही हो, को औद्योगिक हैम्प के पौधे के अनुमन्य भाग का वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी उपयोग किया जा सकता है। वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाईयों को औद्योगिक हैम्प के पौधे के रेशे एवं बीज को अनुज्ञप्त खेतीहर से क्रय, उपयोग एवं भण्डारण करने के लिये निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जिले के कलेक्टर के समक्ष आवेदन करना होगा। अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा यथावश्यक जांच के उपरांत सम्बन्धित वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाई को निर्धारित प्रारूप पर रूपये 500 का भण्डारण शुल्क जमा करने पर अनुज्ञापन जारी किया जायेगा।

4. यदि किसी व्यक्ति, शोध संस्थान, वाणिज्यिक इकाई के पास इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी नियमावली के अधीन कोई औद्योगिक हैम्प से सम्बन्धित लाईसेन्स प्राप्त हो, तो उसे नियमावली के अन्तर्गत कोई लाईसेन्स देय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आवेदनकर्ता से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उसके पास इस नियमावली के अतिरिक्त औद्योगिक हैम्प से सम्बन्धित कोई अनुज्ञापन नहीं है।

5. अनुज्ञापन धारक केवल न्यूनतम टी0एच0सी0 0.3 प्रतिशत या उससे कम मात्रा तक के बीज ही औद्योगिक हैम्प की खेती हेतु प्रयुक्त करेगा। अनुज्ञापन धारक को निर्धारित न्यूनतम टी0एच0सी0 0.3 या उससे कम मात्रा तक के बीज प्रयुक्त किये गये हैं, का प्रमाण–पत्र लाईसेन्स प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तदोपरान्त लाईसेन्स प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त बीज का उपयोग बुआई हेतु किया जायेगा। बीज आयात करने की अनुमति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा दी जायेगी।

6. अनुज्ञप्त खेतीहर औद्योगिक हैम्प की फसल के किसी भाग को प्राप्त करने या कटान से तीन सप्ताह पूर्व सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को टी0एच0सी0 की जांच हेतु सूचित करेगा तथा जाचोंपरांत सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर फसल के किसी भाग का उपयोग किया जा सकेगा।

अनुज्ञापन धारक द्वारा उक्त नियम–1 के अधीन सूचित किये जाने पर कलेक्टर द्वारा टी0एच0सी0 मात्रा जांच किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित इकाई को नमूने लिये जाने हेतु तत्काल सूचित करेगा। इस सम्बन्ध में होने वाला व्ययभार अनुज्ञापन धारक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

अधिसूचित इकाई, लिये गये नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट को नमूने लेने के एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगी। जांच रिपोर्ट में टी0एच0सी0 की अधिकतम निर्धारित मात्रा 0.3 प्रतिशत पाये जाने पर अनुज्ञप्त खेतीहर को औद्योगिक हैम्प के फसल की कटान की अनुमति दी जायेगी। टी0एच0सी0 की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने की स्थिति में फसल नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी, उक्त स्थिति में सम्बन्धित अनुज्ञापी किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।

7. अनुज्ञप्त खेतीहर अपने अनुज्ञापन के अधीन अनुज्ञप्त खेत में उत्पादित औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी उपयोग कर सकेगा तथा उस भाग को निर्धारित प्रारूप पर अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी इकाईयों को विक्रय भी कर सकेगा। प्रतिबंध यह है कि अनुज्ञापी औद्योगिक हैम्प के पौधे से किसी भी प्रकार का मनः प्रभावी पदार्थ न तो प्राप्त करेगा

और न ही क्रय–विक्रय, उपयोग एवं भण्डारित करेगा। वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का परिवहन बिना पास के नहीं किया जायेगा, इस हेतु परिवहन पास निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जायेगा।

8. इसके अधीन प्रदत्त अनुज्ञापन कैलेन्डर वर्ष में कभी भी जारी किया जा सकता है, जिसकी वैधता अवधि 5 वर्ष या उसके किसी भाग के लिये होगी, जिसे निर्धारित शुल्क/आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा आगामी 5 वर्ष के लिये अनुज्ञापी के अनुरोध पर नवीनीकृत किया जा सकेगा।

9. इसके अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञापनों का निरीक्षण आबकारी विभाग के उप आबकारी निरीक्षक एवं राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी एंव शासन द्वारा समय–समय पर नामित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। औद्योगिक हैम्प की खेती एवं भण्डारण के सम्बन्ध में अनुज्ञापी द्वारा आवश्यक पंजिकाओं का रख–रखाव करना अनिवार्य होगा, जिसमें औद्योगिक हैम्प के पौधे से वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु प्राप्त पैदावार के क्रय–विक्रय, भण्डारण एवं उपयोग आदि का विवरण रखना होगा। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मांग करने पर अनुज्ञापी द्वारा अपना लाईसेन्स एवं लेखा–जोखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

10. अनुज्ञापी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ–1985 के प्रविधानो तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमो का पालन करने के लिए बाध्य होगा। अनुज्ञापी द्वारा अधिनियम के प्रविधानो एवं नियमो का उल्लघंन करने पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट–1985 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही का भागी होगा।

11 अनुज्ञापी अपने खेत में उगाये गये औद्योगिक हैम्प के पौधे से वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अनुमन्य औद्योगिक हैम्प के भाग के अतिरिक्त किसी अन्य भाग का न तो स्वयं उपभोग/उपयोग करेगा और न ही विक्रय करेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, उपभोग/उपयोग करने की अनुमति देगा। अनुज्ञापी अपने खेत में उगाये गये औद्योगिक हैम्प के पौधे से वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु प्राप्त औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का उपयोग एवं उसका विक्रय विहित रीति एवं प्रचालित नियमो के अनुसार करेगा।

12 कलेक्टर लिखित कारण के साथ किसी भी समय अनुज्ञापन निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा। अनुज्ञापी द्वारा यदि वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी उद्देश्य हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती एवं उसके भण्डारण सम्बन्धी शर्तों या एन0डी0पी0एस0एक्ट–1985 का उल्लघंन किया जाता है, तो कलेक्टर द्वारा अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा। अनुज्ञापन के निरस्तीकरण या समर्पण करने पर औद्योगिक हैम्प के पौधे एवं उसके किसी भाग या अवशेष स्टॉक का निस्तारण अनुज्ञप्ति अधिकारी के निर्देशानुसार किया जायेगा।

13. वाणिज्यिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती एवं उसके अनुमन्य भाग के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र एवं अनुज्ञापनों का प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव

nawali

संख्या 639(i) /XXIII/2016/04(02)2016तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कृषि उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्यान उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव

संख्याः 2641 / छ:प्रा०–159 / भांग की खेती नियमावली / 2016–17

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक: अगस्त,17,2017

विषयः– स्वापक औषधि और मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम– 1985 की धारा–14 में नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः 639 / XXIII / 2016 / 04(02)2016 देहरादून: दिनांक: 05, दिसम्बर, 2016 **(छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा दी गयी शर्तो के अधीन औद्योगिक हैम्प की खेती की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गयी है, जिस हेतु निम्न प्रारूप निर्धारित किये गये है।

1. **प्रारूप IIIC-A1**– उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोग के लिए औद्योगिक हैम्प की खेती करने व भण्डारण के लिए लाईसेंस दिये जाने हेतु आवेदन पत्र।
2. **प्रारूप IIIC-A2**– उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोग के लिए इकाईयों को औद्योगिक हैम्प के अनुमन्य भाग के भण्डारण के लिए लाईसेंस दिये जाने हेतु आवेदन पत्र।
3. **प्रारूप IIIC-1**– औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के लिए अनुज्ञापत्र।
4. **प्रारूप IIIC-2**– औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे के अनुज्ञप्त खेतीहर को औद्योगिक एवं औद्यानिकी उद्देश्य से अनुमन्य औद्योगिकी हैम्प के किसी भाग के थोक भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री हेतु अनुज्ञापत्र।
5. **प्रारूप IIIC-3**– औद्योगिक एवं औद्यानिकी इकाईयों को औद्यानिक हैम्प के पौधे के औद्योगिक एवं औद्यानिकी उद्देश्य से अनुमन्य औद्योगिकी हैम्प के किसी भाग के थोक भण्डारण एवं उपयोग हेतु अनुज्ञापत्र।
6. **प्रारूप IIIC-4**– (अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाई के लिए अनुमन्य) नियमावली के अधीन औद्योगिक हैम्प के पौधे के अनुमन्य भाग के परिवहन के लिए पास।

अतः उपरोक्त शासनादेश एवं प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16/8/17

(युगल किशोर पन्त)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 2642 / छ:प्रा०–159 / भांग की खेती नियमावली / 2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– समस्त जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(युगल किशोर पन्त)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रारूप IHC-A1

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोग के लिए औद्योगिक हैम्प की खेती करने व भण्डारण के लिए लाईसेंस दिये जाने हेतु आवेदन--पत्र

सेवा में,

कलैक्टर,

जनपद..................

आवेदक का सत्यापित फोटो

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक उपयोगिता के लिए औद्योगिक हैम्प की खेती की प्रख्यापित नियमावली वर्ष 2016 के अन्तर्गत औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती एवं औद्योगिक/औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अनुमन्य औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के भण्डारण हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने का कष्ट करें, जिसके लिए आवश्यक सूचनायें निम्नवत् है:--

1. आवेदक का नाम..
2. पिता का नाम...
3. पता स्थाई एवं अस्थाई...
   ....
4. भूमि जिसमें औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती हेतु आवेदन किया गया है, की प्रारिस्थिति का विवरण..
5. भूमि का खसरा खतौनी का विवरण संलग्न है।
6. भूमि जिसमें खेती की जानी है, के क्षेत्रफल का विवरण संलग्न है। (GPS Coordinates सहित)
7. भण्डारगृह की चौहद्दी एवं प्रारिस्थिति का विवरण संलग्न है।
8. चरित्र प्रमाण--पत्र संलग्न है।
9. यदि औद्योगिक हैम्प के पौधे की अनुबन्धित खेती की जा रही है तो सम्बन्धित इकाई जिसके लिए खेती की जानी है का पूर्ण विवरण।
10. इस आशय का शपथ--पत्र कि आवेदनकर्ता को किसी गैर जमानती अपराध में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही मा० न्यायालय में किसी गैर जमानती अपराध से सम्बन्धित कोई मामला विचाराधीन है, संलग्न है।
11. आवेदनकर्ता द्वारा इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी नियमावली के अधीन औद्योगिक हैम्प की खेती के लिये कोई अन्य अनुज्ञापन प्राप्त नहीं किया गया है. तत्सम्बन्धी शपथ--पत्र संलग्न है।

औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोगिता के लिए औद्योगिक हैम्प की खेती के रूप में मेरे द्वारा प्रख्यापित खेत के क्षेत्रफल में औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती करने तथा अनुमन्य क्षेत्रफल से उत्पादित औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के भण्डारण, उपयोग एवं विक्रय हेतु प्रचलित नियमों का पालन किया जायेगा।

स्थान...

जनपद...

दिनांक...

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप IHC-A2

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोग के लिए इकाईयों को औद्योगिक हैम्प के अनुमन्य भाग के थोक भण्डारण एवं उपयोग के लिए लाईसेंस दिये जाने हेतु आवेदन–पत्र

सेवा में,
कलैक्टर,
जनपद..................

आवेदक का सत्यापित फोटो

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक उपयोगिता के लिए औद्योगिक हैम्प की खेती की प्रख्यापित नियमावली वर्ष 2016 के अन्तर्गत औद्योगिक हैम्प के अनुमन्य भाग के भण्डारण एवं उपयोग के लिए अनुज्ञापन प्रदान करने का कष्ट करें, जिसके लिए आवश्यक सूचनायें निम्नवत् है:–

1. औद्योगिक/औद्यानिकी इकाई का नाम..
2. आवेदक का नाम..
3. पिता का नाम..
4. पता..
5. भण्डारगृह की चौहद्दी एवं उसकी स्थिति GPS (Globas Positioning System) Coordinate के साथ।
6. चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न है।
7. इस आशय का शपथ–पत्र कि आवेदनकर्ता को किसी गैर जमानती अपराध में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही मा० न्यायालय में किसी गैर जमानती अपराध से सम्बन्धित कोई मामला विचाराधीन है, संलग्न है।
8. इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न है कि आवेदक द्वारा अनुज्ञप्त खेतीहर से औद्योगिक हैम्प के पौधे के ऐसे भाग जिसका नियमावली के अनुसार औद्योगि एवं औद्यानिकी उपयोग किया जा सके के अलावा अन्य किसी भाग का क्रय नहीं किया जायेगा।
9. आवेदनकर्ता द्वारा इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी नियमावली के अधीन औद्योगिक हैम्प के अनुमन्थ भाग के भण्डारण के लिए कोई अन्य अनुज्ञापन प्राप्त नहीं किया गया है, तत्सम्बन्धी शपथ–पत्र संलग्न है।

स्थान..

जनपद..

दिनांक..

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून

प्रपत्र IHC-1

औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के लिए अनुज्ञापत्र

रजिस्टर संख्या ....

लाइसेंसधारी का नाम ....

श्री ....पुत्र श्री..

निवासी...तहसील..जनपद.......................को

रू0.........................अनुज्ञापन शुल्क जमा करने पर, औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु निम्न वर्णित खेत में औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती हेतु निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाता है :–

खेत का विवरण 1. स्थान ....तहसील...जनपद...............................

2. खेत का क्षेत्रफल...खेत का खसरा/खतौनी संख्या......................................

3. GPS Coordinate

शर्तें

1. यह अनुज्ञापन दिनांक.....................से.........................31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगा।
2. अनुज्ञापन श्री ....पुत्र श्री...को व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया है और यह अहस्तान्तरणीय है।
3. अनुज्ञापी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ–1985 के प्रविधानो तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमो का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
4. अनुज्ञापी द्वारा अधीनियमो के प्रविधानो एवं नियमों का उल्लघंन करने पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट –1985 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही का भागी होगा।
5. अनुज्ञापी अपने खेत में उत्पादित औद्योगिक हैम्प के पौधे के निस्तारण हेतु निम्न शर्तों का पालन करेगा –

   (क) अनुज्ञापी अपने खेत में उगाये गये औद्योगिक हैम्प के पौधे से औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अनुमन्य औद्योगिक हैम्प के भाग के अतिरिक्त किसी अन्य भाग का न तो स्वयं उपभोग/उपयोग करेगा और न ही विक्रय करेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, उपभोग/उपयोग करने की अनुमति देगा।

   (ख) अनुज्ञापी अपने खेत में उगाये गये औद्योगिक हैम्प के पौधे से औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु प्राप्त औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का उपयोग एवं उसका विक्रय विहित रीति एवं प्रचालित नियमो के अनुसार करेगा।
6. कलेक्टर लिखित कारण के साथ किसी भी समय अनुज्ञापन निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।
7. अनुज्ञापी को अपने खेत से अपने भण्डारण कक्ष के लिए हस्तान्तरित किये गये औद्योगिक हैम्प के पौधे से प्राप्त औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अनुमन्य सामग्री का विवरण पंजिका में अंकित करना होगा।
8. अनुज्ञापी अपने खेत मे उत्पादित औद्योगिक हैम्प के पौधे से औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु प्राप्त भाग को अनुज्ञप्त औद्योगिक/औद्यानिकी इकाई को ही विक्रय कर सकेगा और उसका पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा।
9. अनुज्ञप्त खेतीहर द्वारा अपने खेत के भण्डार कक्ष से अपनी औद्योगिक/औद्यानिकी इकाई को हस्तान्तिरत किये गये औद्योगिक हैम्प के पौधे से प्राप्त अनुमन्य सामग्री का पूर्ण विवरण पंजिकाओं में अनुरक्षित किया जायेगा।
10. अनुज्ञापी द्वारा विक्रय की गई औद्योगिक हैम्प के अनुमन्य किसी भाग का परिवहन बिना परिवहन पास के नहीं किया जायेगा।
11. अनुज्ञापी अनुज्ञप्त खेत के अलावा अन्य किसी खेत में औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती नहीं करेगा।
12. अनुज्ञापी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ–1985 या उनके अधीन बनाये गये नियमो के अधीन सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग करने पर अपना लाईसेन्स और लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।
13. अनुज्ञापी द्वारा यदि औद्योगिक एवं औद्यानिकी उद्देश्य हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती सम्बन्धी नियमावली, 2016 या एन0डी0पी0एस0एक्ट–1985 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या शर्तों का उल्लघंन किया जाता है, तो कलेक्टर द्वारा अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा एवं अनुज्ञापी को कालीसूची में डालते हुए भविष्य के लिये औद्योगिक हैम्प से सम्बन्धित किसी अनुज्ञापन लेने से विवर्जित कर दिया जायेगा।
14. अनुज्ञापन के निरस्तीकरण या समर्पण करने पर औद्योगिक हैम्प के पौधे एवं उसके किसी भाग या अवशेष स्टॉक का निस्तारण अनुज्ञपित अधिकारी के निर्देशानुसार किया जायेगा।
15. इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत केवल ऐसे प्रजाति के औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें टी0एच0सी0 की मात्रा 0.3 प्रतिशत से अधिक न हो।

कार्यालय आबकारी आयुक्त

16. अनुज्ञापी द्वारा यदि इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी नियमावली के अधीन औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के लिए अनुज्ञापन लिया गया हो, तो यह अनुज्ञापन स्वतः निष्प्रभावी / निरस्त समझा जायेगा।

जनपद.............................. कलेक्टर

दिनांक ....

प्रपत्र IHC-2

औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे के अनुज्ञप्त खेतीहर को औद्यागिक एवं औद्यानिकी उददेश्य से औद्योगिक हैम्प के अनुमन्य भाग के थोक भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री हेतु अनुज्ञापत्र

रजिस्टर संख्या ....

लाइसेंसधारी का नाम ....

विकेता का नाम ....

परिसर का निश्चित विवरण जहाँ पर औद्योगिक हैम्प के किसी भाग को औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन से भण्डारित कर विक्रय या स्थानान्तरित किया जायेगा।..

....

एतदद्वारा अनुज्ञप्त खेतीहर श्री..................................निवासी..................................को अपने अनुज्ञप्त खेत में उत्पादित औद्योगिक हैम्प के किसी भाग को औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन से भण्डारण, विक्रय और उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाता है:–

शर्ते

1. यह अनुज्ञापन ....से 31 मार्च, ...तक प्रवृत्त रहेगा।
2. अनुज्ञापन श्री ....पुत्र श्री..................................को व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया है और यह अहरतान्तरणीय है।
3. अनुज्ञापी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ–1985 के प्रविधानो तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमो का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
4. अनुज्ञापी द्वारा अधीनियमो के प्रविधानो एवं नियमो का उल्लघंन करने पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट –1985 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही का भागी होगा।
5. अनुज्ञापी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में न तो औद्योगिक हैम्प के पौधे के किसी भाग का उपभोग करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उपभोग करने की अनुमति देगा।
6. अनुज्ञापी अपने अनुज्ञप्त खेत में उत्पादित औद्योगिक हैम्प के सिवाय अन्य किसी स्रोत्र से औद्योगिक हैम्प एकत्रित कर अनुज्ञप्ति परिसर में नही लायेगा।
7. अनुज्ञापी केवल उन इकाईयो को ही औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे के अनुमन्य भाग का विक्रय कर सकेगा, जिनको IHC-3 अनुज्ञापन स्वीकृत हो।
8. अनुज्ञापी किसी व्यक्ति को अपने परिसर में औद्योगिक हैम्प विकय करने की अनुमति नही देगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम उसके द्वारा कलेक्टर से अनुमोदित न करा लिया गया हो।
9. अनुज्ञापी औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अपने खेत से प्राप्त किये गये औद्योगिक हैम्प के किसी अनुमन्य भाग के स्टॉक का विवरण विहित पंजिकाओं में अनिवार्य रूप से अंकन करेगा।
10. औद्योगिक हैम्प के पौधे से प्राप्त अनुमन्य भाग को तौलने हेतु अनुज्ञापी अनुज्ञप्ति परिसर में तौल मशीन और उपकरण रखेगा।
11. अनुज्ञापी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ–1985 या उसके अधीन बनाये गये नियमो के अधीन सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग करने पर अपना लाईसेन्स और लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।
12. अनुज्ञापी द्वारा यदि एन0डी0पी0एस0एक्ट–1985 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो कलेक्टर द्वारा अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।
13. अनुज्ञापन के निरस्तिकरण या समर्पण करने पर अनुज्ञप्त परिसर पर भण्डारित औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का निस्तारण अनुज्ञप्ति अधिकारी के निर्देशानुसार किया जायेगा।
14. अनुज्ञापी द्वारा यदि इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी नियमावली के अधीन औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अनुमन्य औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के थोक भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री हेतु अनुज्ञापन लिया गया हो, तो यह अनुज्ञापन स्वतः निष्प्रभावी/निरस्त समझा जायेगा।

जनपद..................................

दिनांक ....

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून

कलेक्टर

प्रपत्र IHC-3

औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प के पौधे के औद्योगिक एवं औद्यानिकी उद्देश्य से अनुमन्य औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के थोक भण्डारण एवं उपयोग हेतु अनुज्ञापत्र

रजिस्टर संख्या ....

लाइसेंसधारी का नाम ....

विकेता का नाम ....

परिसर का निश्चित विवरण, जहाँ पर औद्योगिक हैम्प के किसी भाग को औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन से भण्डारित किया जायेगा। ....
....

एतद्द्वारा यह अनुज्ञापन उत्तराखण्ड औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोग के लिए औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती के लिए प्रख्यापित नीति वर्ष 2016 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत और उनके उपबन्धों के अधीन श्री...निवासी..........................
जनपद...को (जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है) 1000 रूपये (केवल एक हजार रूपया) की लाइसेंस फीस देने पर अनुज्ञप्त खेतीहर से औद्योगिक हैम्प के पौधे से औद्योगिक एवं औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अनुमन्य सामग्री को क्रय करने, कब्जे में रखने तथा उपयोग करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञापन दिया जाता है:–

शर्तें

1. यह अनुज्ञापन ....से 31 मार्च, ...तक प्रवृत्त रहेगा।
2. अनुज्ञापन श्री ....पुत्र श्री...को व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया है और यह अहस्तान्तरणीय है।
3. अनुज्ञापी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ–1985 के प्रविधानो तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमो का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
4. अनुज्ञापी द्वारा अधीनियमो के प्रविधानो एवं नियमो का उल्लघंन करने पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट –1985 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही का भागी होगा।
5. अनुज्ञापी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्त खेतीहर के सिवाय किसी अन्य स्रोत से औद्योगिक हैम्प के अनुमन्य भाग को प्राप्त कर अपने भण्डारण कक्ष में नहीं रखेगा।
6. अनुज्ञापी, अनुज्ञप्त खेतीहर से क्रय किये गये औद्योगिक हैम्प के अनुमन्य भाग का पूर्ण विवरण विहित पंजिकाओं में अनिवार्य रूप से अंकन करेगा।
7. औद्योगिक हैम्प के पौधे से औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोग हेतु प्राप्त भाग को तौलने हेतु अनुज्ञापी अनुज्ञप्ति परिसर में तौल मशीन और उपकरण रखेगा।
8. अनुज्ञापी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ–1985 या उनके अधीन बनाये गये नियमो के अधीन सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग करने पर अपना लाईसेन्स और लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।
9. अनुज्ञापी द्वारा यदि एन0डी0पी0एस0एक्ट–1985 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो कलेक्टर द्वारा अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।
10. अनुज्ञापन के निरस्तिकरण या समर्पण करने पर अनुज्ञप्त परिसर पर भण्डारित औद्योगिक हैम्प के किसी भाग का निस्तारण अनुज्ञप्ति अधिकारी के निर्देशानुसार किया जायेगा।
11. औद्योगिक एवं औद्यानिकी इकाईयों द्वारा यदि इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी नियमावली के अधीन औद्योगिक हैम्प के पौधे के औद्योगिक एवं औद्यानिकी उद्देश्य से अनुमन्य औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के थोक भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री हेतु अनुज्ञापन लिया गया हो, तो यह अनुज्ञापन स्वतः निष्प्रभावी/निरस्त समझा जायेगा।

जनपद..............................

दिनांक ....

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून

कलेक्टर

प्रपत्र IHC-4

पास संख्या.........

(अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाई के लिए अनुमन्य)

नियमावली के अधीन औद्योगिक हैम्प के पौधे के अनुमन्य भाग के परिवहन के लिए पास

(उस क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित करने हेतु जहाँ से परिवहन किया जायेगा)

क्रम संख्या ....दिनांक ....

श्री / सर्वश्री...

को एतद्द्वारा..से...तक औद्योगिक हैम्प का वह भाग जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

परिवहन हेतु प्रयोग किये जा रहे वाहन का विवरण...

परिवहन किये जाने वाले भाग का विवरण...

बण्डल, बोरें, कट्टों की संख्या...

कुल वजन...

यह पास उत्तराखण्ड औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोगिता के लिए औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती के लिए प्रख्यापित नीति वर्ष 2016 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाता है :

1. पारेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।
2. पास की वैधता अवधि दिनांक.......................................से.............................. तक रहेगी।

पास जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

और पदनाम